Dr. Seema Kumari (Asst. Prof. Pol. Sc.)
RMC, VKSU.

BA-2, Paper-3, Indian government and politics

Date - 27.01.2022

राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)
Directive Principles of State policy

राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्भूत सामाजिक आर्थिक एंव राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित होते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य 'लोक कल्याण कारी राज्य' की स्थापना करना है। संविधान के भाग - 4 में अनुच्छेद 36 - 51 तक वर्णन किया है।

DPSP का महत्व -

- लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना
- आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना
- भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार, अधिकांश योजनाएं इससे प्रेरित हैं।
- इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है।
- जब कभी न्यायपालिका के समुख कोइ संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न हुई है, DPSP समस्या समाधान में सहायक रहा है।
- संविधान में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जनहित याचिकाओं (PIL) के अंतर्गत जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गइ है और जीवन के अधिकार में आजीविका भी निदेशक तत्वों में वर्णित है।

Scanned with CamScanner

डा० अंबेडकर - DPSP का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राजव्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है।

ग्रेनविल आस्टिन - निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम हैं।

राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण

भारतीय संविधान में इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं है किंतु विषयवस्तु एवं दिशा के आधार पर तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:-

1. समाजवादी सिद्धांत - जिसमें जनता को समानता, न्याय, कल्याण उपलब्ध कराना है।
(Art 38, 39, 39 A, 41, 42, 43, 43A, 47 है)
श्रमिकों को उचित निर्वाह मजदूरी, उद्योगों का प्रबंधन सुनिश्चित कराना, पोषाहार उपलब्ध कराना आदि है।

2. उदार बौद्धिक सिद्धांत - (Art 44, 45, 48, 49, 50, 51)
Art 44 संपूर्ण देश में समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने हेतु, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि संबंधों के प्रति आदर करना इत्यादि।

3. गांधीवादी सिद्धांत (Art 40, 43, 43B, 46, 47, 48).
ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण क्षेत्रों में वैयक्तिक या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, SC/ST तथा वंचित वर्गों की शैक्षिक आर्थिक हितों में अभिवृद्धि करना, सामाजिक न्याय की स्थापना, शोषण का अंत करना उनसे संरक्षा देना, मद्य निषेध, पशु वध निषेध, आदि।

→

Scanned with CamScanner